Gas and others concerned. LPG is under OGL (Open General Licence) and no licence is required for its import.

96 parties have obtained rating under LPG Control Order, so far. However, only 16 parties have imported LPG under the parallel marketing system so far:—

1. M/s. Essar World Trade.
2. M/s. Hindustan Domestic Oil & Gas Co.
3. M/s. Jay Cylinders.
4. M/s. Bharat Shell.
5. M/s. Shri Shakti LPG.
6. M/s. Aegis Chemicals.
7. M/s. Kabsons Industries.
8. M/s. Palril.
9. M/s. Bpomi Gas.
10. M/s. Mahagas.
11. M/s. Asia LPG.
12. M/s. SPIC.
13. M/s. Reliance Petroleum.
14. M/s. Feena Petroleum.
15. M/s. Indo-Gulf Fuels Limted.
16. M/s. Indore Gases.

Most of the LPG imported by the above parties has been sold in bulk to Industrial and Commercial Consumers.

The Government do not monitor the operations of parallel marketeers of LPG. Public have been suitably advised and warned through press releases that they must find out the antecedents, genuineness and capabilities of concerned parallel marketeers before entering into any transaction with them. The State and UT Governments have also been advised to verify the genuineness, antecedents and capabilities of persons/agencies engaged in paralled marketing of LPG and to take appropriate action against persons who have been found indulging in fraudulent and unfair trade practices. For any grievances, the customers can see redressal from any of the usual for like MRTPC. State/District Consumer Grievances Committee and Consumers' Fora etc. besides other avenues available under the law of the land.

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई०ए०एस०) के पदों का सृजन और उनका अभ्यर्पण

1793. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 से 1995-96 तक अखिल भारतीय सेवाओं में कितने नए पदों का सृजन किया गया और उपर्युक्त श्रेणियों में कितने पद अभ्यर्पित/समाप्त किए गए; और

(ख) 31 जुलाई, 1996 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त श्रेणियों में कितने पद रिक्त पड़े हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० आर० बालासुब्रह्मण्यम): (क) अखिल भारतीय सेवा के किसी भी राज्य संवर्ग की प्राधिकृत पद संख्या संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करके निर्धारित की जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा के किसी भी संवर्ग की पद संख्या तथा उसकी संरचना की पुनरीक्षा, भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा (संवर्ग), नियमावली तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का निर्धारण), विनियमावली के अनुसार साधारणतः 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। संवर्ग पुनरीक्षा के दौरान राज्य सरकारों को अपने राज्य में अस्थायी तथा संवर्ग बाह्य पद सृजित करने की शक्तियां प्राप्त हैं। ऐसा राज्य सरकारों द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली और भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली के उपबंधों के अनुसार और उसमें निर्धारित सीमाओं के अनुसार किया जाता है।

तथापि, तीनों अखिल भारतीय सेवाओं के प्रत्येक संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या में दिनांक 1.1.92, 1.1.93, 1.1.94, 1.1.95 और 1.1.96 को उपलब्ध सूचना के अनुसार वृद्धि अथवा कमी, जैसी भी स्थिति है, विवरण-I, II और विवरण III में दी गई है (नीचे देखिए)।

(ख) अखिल भारतीय सेवाओं के पदों में सीधी भर्ती के पद तथा पदोन्नति पद शामिल होते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के सीधी भर्ती के पद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा तथा भारतीय वन सेवा के सीधी भर्ती के पद भारतीय वन सेवा परीक्षा की योग्यता क्रम की सूची के आधार पर राज्य सरकार से परामर्श करके भरे जाते हैं।

पदोन्नति पद, पदोन्नति कोटे में जब और जैसे रिक्तियां होती हैं, पदोन्नति विनियमों के अनुसार राज्य सरकारों के पात्र उम्मीदवारों में से भरे जाते हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है और इसमें अधिकारियों के पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण अथवा उनकी मृत्यु के कारण अल्पकालिक रिक्तियों की संभावना रहती है।

विवरण-I

कुल प्राधिकृत पद संख्या

भारतीय प्रशासनिक सेवा

क्रम संख्या	संवर्ग	1.1.1991 को	1.1.1992 को	1.1.1993 को	1.1.1994 को	1.1.1995 को	1.1.1996 को
1.	आंध्र प्रदेश	331	331	331	331	331	314
2.	अरूणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र	245	210	210	210	245	232
3.	असम-मेघालय	213	213	218	218	218	207
4.	बिहार	408	408	408	408	414	392
5.	गुजरात	253	253	253	248	248	236
6.	हरियाणा	233	233	215	215	215	205
7.	हिमाचल प्रदेश	140	140	140	138	138	131
8.	जम्मू और कश्मीर	118	118	118	118	118	112
9.	कर्नाटक	265	265	265	265	266	253
10.	केरल	195	195	195	181	181	171
11.	मध्य प्रदेश	398	398	398	398	398	377
12.	महाराष्ट्र	356	356	366	366	366	348
13.	मणिपुर-त्रिपुरा	171	171	171	209	209	198
14.	नागालैंड	60	60	54	54	54	51
15.	उड़ीसा	216	216	216	210	210	199
16.	पंजाब	197	204	204	204	204	193
17.	राजस्थान	263	266	266	266	266	252
18.	सिक्किम	59	64	64	56	53	53
19.	तमिलनाडु	339	339	340	340	340	323
20.	उत्तर प्रदेश	554	554	554	554	554	527
21.	पश्चिम बंगाल	320	320	320	308	308	292
	कुल	5334	5314	5306	5297	5336	5066

विवरण-II

कुल प्राधिकृत पद संख्या

भारतीय पुलिस सेवा

क्रम संख्या	संवर्ग	1.1.1991 को	1.1.1992 को	1.1.1993 को	1.1.1994 को	1.1.1995 को	1.1.1996 को
1.	आंध्र प्रदेश	194	194	194	194	194	183
2.	अरूणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र	170	170	170	170	171	162
3.	असम-मेघालय	142	142	144	144	144	136
4.	बिहार	230	253	253	253	263	250
5.	गुजरात	141	141	141	141	141	133
6.	हरियाणा	116	116	116	116	116	109
7.	हिमाचल प्रदेश	77	77	77	77	77	72
8.	जम्मू और कश्मीर	84	99	99	99	99	94
9.	कर्नाटक	138	138	138	138	147	147
10.	केरल	117	126	126	126	126	121
11.	मध्य प्रदेश	293	293	293	293	293	278
12.	महाराष्ट्र	203	203	216	216	216	205
13.	मणिपुर-त्रिपुरा	99	111	111	111	111	105
14.	नागालैंड	45	45	45	45	52	49
15.	उड़ीसा	131	131	131	131	160	151
16.	पंजाब	142	142	142	142	142	135
17.	राजस्थान	147	155	155	155	155	146
18.	सिक्किम	24	27	27	27	27	25
19.	तमिलनाडु	180	180	180	180	200	189
20.	उत्तर प्रदेश	396	396	396	417	417	395
21.	पश्चिम बंगाल	258	268	268	268	268	254
	कुल	3312	3407	3422	3443	3519	339

विवरण-III

कुल प्राधिकृत पद संख्या

भारतीय वन सेवा

क्रम संख्या	संवर्ग	1.1.1991 को	1.1.1992 को	1.1.1993 को	1.1.1994 को	1.1.1995 को	1.1.1996 को
1.	आंध्र प्रदेश	126	140	140	140	140	132

क्रम संख्या	संवर्ग	1.1.1991 को	1.1.1992 को	1.1.1993 को	1.1.1994 को	1.1.1995 को	1.1.1996 को
2.	अरूणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र	106	106	106	106	106	156
3.	असम-मेघालय	111	111	111	111	111	118
4.	बिहार	146	172	172	172	172	173
5.	गुजरात	98	111	111	111	112	104
6.	हरियाणा	67	71	71	71	71	67
7.	हिमाचल प्रदेश	112	112	112	112	111	107
8.	जम्मू और कश्मीर	60	105	105	105	105	100
9.	कर्नाटक	159	159	159	159	159	150
10.	केरल	86	86	86	95	95	89
11.	मध्य प्रदेश	396	396	396	409	409	385
12.	महाराष्ट्र	181	181	181	181	181	170
13.	मणिपुर-त्रिपुरा	75	80	80	80	80	87
14.	नागालैंड	28	28	28	28	35	33
15.	उड़ीसा	124	124	124	124	129	121
16.	पंजाब	42	42	42	42	42	45
17.	राजस्थान	105	105	105	105	105	99
18.	सिक्किम	36	36	36	36	36	34
19.	तमिलनाडु	111	141	141	141	141	133
20.	उत्तर प्रदेश	272	289	289	289	289	272
21.	पश्चिम बंगाल	89	104	104	104	104	97
	कुल	2530	2699	2699	2721	2733	2672

Fixation of targets for PHCs by the Planning Commission

1794. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether targets for establishing new Primary Health Centres (PHCs) and Sub Centres (SCs) are fixed by the Planning Commission;

(b) if so, what are the norms for fixing such targets;

(c) whether the Commission has fixed any targets for PHCs and SCs in Madhya Pradesh for the year 1996-97;

(d) if so, the details thereof; and

(e) what steps are being taken by the Planning Commission to ensure that the targets for PHCs and SCs fixed by it are definitely achieved.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) and (b) Targets for establishment of new Sub Centres (SCs) and Primary Health Centres (PHCs) in a State are decided in consultation of the State Government officers during the Working Group meetings of the Planning Commission after reviewing the existing Health Services, requirement of the State and availability of financial resources with the State.